संख्या– 525 /XXVII (8) / वाणि0कर / 2006

प्रेषक,

एल0एम0पन्त,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तरांचल,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादून::दिनांक: 10 नवम्बर, 2006

विषय:–वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तरांचल के प्रशासनिक ढांचे में सहायक निबन्धक,वेतनमान,रूपये,6500–10500 का एक अस्थाई पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तरांचल,देहरादून के प्रशासनिक ढांचे में राजपत्रित श्रेणी–2 का सहायक निबन्धक,वेतनमान,रूपये,6500–10500 में एक अस्थाई पद के सृजन की दिनांक 28–02–2007 तक (यदि इससे पूर्व बिना किसी सूचना के समाप्त न कर दिया जाये) श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– उक्त पद पर भर्ती प्रोन्नति के माध्यम से वाणिज्य कर अधिकरण मे कार्यरत प्रशासनिक अधिकारी, ग्रेड–2 (पूर्व पदनाम कार्यालय अधीक्षक) से की जायेगी।

3– उक्त पद धारक द्वारा अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण के न्यायिक कार्यो में सहायता के साथ ही,प्रशासनिक कार्य,आहरण वितरण से सम्बन्धित कार्य,वाणिज्य कर अधिकरण में दाखिल अपीलों की ग्राह्यता से पूर्व आवश्यक जांच एवं रिपोर्ट प्रस्तुत करने,अधिकरण के अभिलेखों की अभिरक्षा से सम्बन्धित कार्यो के साथ ही अध्यक्ष,वाणिज्य का अधिकरण द्वारा दिये गये कार्यों का निर्वहन भी किया जायेगा।

4– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006–07 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–07 के लेखाशीर्षक 2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर,001–निदेशन एवं प्रशासन,04–वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान के सुसंगत मदों के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश कार्मिक विभाग की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(एल0एम0पन्त) 10/11/2006
अपर सचिव

संख्या– /XXVII(8) / वाणि0कर / 2006 / तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचना तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1–महालेखाकार,उत्तरांचल,देहरादून।
2–वरिष्ठ कोषाधिकारी,देहरादून।
3–कार्मिक अनुभाग–2,उत्तरांचल सचिवालय,देहरादून।
4–गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0वल्दिया)
उप सचिव।

संख्या–637/2015/26(100)XXVII(8)/07

प्रेषक,

अरूणेन्द्र सिंह चौहान,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड,देहरादून।

वित्त अनुभाग–8

देहरादून::दिनांकः27 जुलाई,2015

विषयः– वाणिज्य कर अधिकरण के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबन्धक सेवा नियमावली, 2015 का प्रख्यापन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 मंत्रिमण्डल के आदेश के क्रम में वाणिज्य कर अधिकरण के अन्तर्गत "उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबन्धक सेवा नियमावली, 2015 का प्रख्यापन वित्त अनुभाग–8, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–631/2015/26(100)XXVII(8)/07, दिनांक 23.07.2015 द्वारा कर दिया गया है। अतः संदर्भगत सेवा नियमावली की हिन्दी एवं अंग्रेजी प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित करने का मुझे निदेश हुआ है।

संलग्नक–यथोपरि

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

संख्या– /2015/26(100)XXVII(8)/07, तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
2– सचिव श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
3– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4– उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय,रूड़की को इस अनुरोध सहित की अधिसूचना की हिन्दी/अंग्रेजी की मुद्रित 250–250 प्रतियॉ वित्त अनुभाग–8 में उपलब्ध करा दें। (संलग्नक)
5– एन0आई0सी, सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड।
6– गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(हीरा सिंह बसेड़ा)
अनुसचिव।

सेवा का

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग--8
संख्या--631/2015/ 26(100) /XXVII(8)/07
देहरादून::दिनांक:23 जुलाई, 2015

अधिसूचना
विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करके राज्यपाल, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण में सहायक निबन्धक की सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:--

उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा नियमावली,2015

भाग--1--सामान्य

संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ 1.(1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा नियमावली,2015 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

सेवा की प्रास्थिति 2.उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण सहायक निबंधक सेवा एक राजपत्रित सेवा है,जिसमें समूह"ख"का पद सम्मिलित है।

परिभाषाएं 3. जब तक विषय या सन्दर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में--

(क)"नियुक्ति प्राधिकारी" से अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ख)"भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है,जो संविधान' के भाग--दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाता हो;
(ग)"संविधान" से भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(घ)"सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य की सरकार अभिप्रेत है;
(ड)"राज्यपाल" से उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है;
(च)"सेवा के सदस्य" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो इस नियमावली के उपबन्धों या इस नियमावली के लागू होने से पहले प्रवृत्त नियमावली तथा आदेशों के उपबन्धों के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद पर मौलिक रूप में नियुक्त हो;
(छ)"सेवा"से अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण,उत्तराखण्ड के प्रशासकीय नियंत्रण में सहायक निबंधक,वाणिज्य कर अधिकरण सेवा अभिप्रेत है;
(ज)"मौलिक नियुक्ति" से सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है,जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो;
(झ)"भर्ती का वर्ष"से किसी कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है;

भाग दो– संवर्ग

सेवा का संवर्ग

4.(1)सेवा की सदस्य संख्या और उसके अन्तर्गत प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय–समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाय।

(2)सेवा की सदस्य संख्या और उसके अर्न्तगत प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या,जब तक उपनियम(1)के अधीन उसमें परिवर्तन करने के आदेश पारित न कर दिए जायें, उतनी होगी,जो संलग्न "परिशिष्ट" में दी गई है;

परन्तु

(एक)नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकते हैं अथवा राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं,जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार नहीं होगा।

(दो)राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी अथवा अस्थायी पद सृजित कर सकते हैं,जैसा वे उचित समझें।

भाग तीन–भर्ती

भर्ती का स्रोत

5. सेवा के पदों पर भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा निम्नलिखित स्रोत से की जायेगी–

(एक)मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे प्रशासनिक अधिकारी,ग्रेड–2, वेतनमान,9300–34800(ग्रेड वेतन,4600) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने संवर्ग में न्यूनतम 12 वर्ष की निर्बाध सेवा पूर्ण कर ली हो।

(दो)ऐसे वैयक्तिक सहायक, ग्रेड–1,वेतनमान,9300–34800(ग्रेड वेतन, 4200) में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को अपने संवर्ग में कम से कम 5 वर्ष की निर्बाध सेवा पूर्ण कर ली हो,

परन्तु यह है कि इन पोषक पदों पर निर्धारित सेवाकाल पूर्ण करने के उपरान्त अधिक सेवाकाल वाले कार्मिक को पात्रता सूची में ऊपर रखा जायेगा।

आरक्षण

6. उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों,अन्य पिछड़े वर्ग एवं अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण, भर्ती के समय प्रदत्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।

भाग चार–भर्ती की प्रक्रिया

रिक्तियों का अवधारण

7. नियुक्ति प्राधिकारी,तत्समय प्रवृत्त नियमों के अनुसार वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियॉ और नियम 6 के अधीन उत्तराखण्ड की अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा।

भर्ती की प्रक्रिया

8. (1) सेवा संवर्ग के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती 'अनुपयुक्त के अस्वीकार करते हुए, 'ज्येष्ठता' के आधार पर एक चयन समिति के माध्यम से ऐसे कर्मचारियों में से चयन करके की जायेगी जो भाग 3 के नियम 5 के अन्तर्गत पदोन्नति के पात्र हैं।

(2) चयन समिति में निम्नलिखित होगें:–

(एक)अध्यक्ष,वाणिज्य कर अधिकरण	अध्यक्ष / नियुक्ति प्राधिकारी
(दो)सदस्य,वाणिज्य कर अधिकरण	सदस्य

(3)नियुक्ति प्राधिकारी प्रत्येक वर्ग के पदों में भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या अवधारित करेगा जिनके लिए चयन किया जाना है।

(4)पात्रता के क्षेत्र के अन्दर आने वाले समस्त अभ्यर्थियों की पात्रता–सूची उनकी चरित्र पंजियों एवं ऐसे अन्य सभी अभिलेख सहित, यदि कोई हो, जो आवश्यक हो और इस प्रयोजन के लिए तर्क संगत हो,चयन समिति के समक्ष रखे जायेगें।

(5)जिस पद के लिये चयन करना है, उसके लिये पदोन्नति के पात्र अभ्यर्थियों की उपयुक्तता का निर्धारण करने के लिये चयन समिति उन सभी के मामलों में उनकी चरित्र पंजियों और अन्य अभिलेखों के सन्दर्भ में,जो उनके समक्ष रखे गये हैं,विचार करेगी।

(6)चयन समिति द्वारा चुने गये अभ्यर्थियों के नामों को उस संवर्ग में, जिसमें पदोन्नति की गयी है,उनकी ज्येष्ठता के क्रम में रखा जायेगा। इस प्रकार तैयार की गयी चयन सूची में अभ्यर्थियों के नाम उन रिक्तियों की संख्या के दुगने होंगे,जिनके लिये चयन किया जाना हो।

(7)एतद्पश्चात,चयन समिति द्वारा पदोन्नति हेतु संस्तुत अभ्यर्थी के पदोन्नति सम्बन्धी आदेश नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियमानुसार निर्गत किये जायेंगे।

भाग पॉच–ज्येष्ठता,परिवीक्षा तथा स्थायीकरण

ज्येष्ठता

9. (1) एतद्पश्चात की गई व्यवस्था के अतिरिक्त, किसी व्यक्ति की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के अनुसार निर्धारित की जायेगी। यदि दो या उससे अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किए जाते है तो उनकी ज्येष्ठता उस क्रम में निर्धारित की जायेगी, जिससे उनके नाम उनकी नियुक्ति आदेश में क्रमांकित किए जाते हैं;

परन्तु यह कि यदि नियुक्ति आदेश में कोई पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाता है, जिससे कोई व्यक्ति मूल रूप से नियुक्ति किया जाता है तो वह दिनांक उसकी मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक माना जायेगा तथा अन्य मामले में इसे आदेश जारी किये जाने का दिनांक माना जायेगा;

परन्तु यह और कि यदि चयन के पश्चात किसी के सम्बन्ध में एक से अधिक नियुक्ति के आदेश जारी किये जाते हैं, तो अभ्यर्थियों की परस्पर

ज्येष्ठता वही होगी जो उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (ज्येष्ठता) नियमावली, 2002 के नियम 15 के अधीन जारी किये गये संयुक्त नियुक्ति आदेश में उल्लिखित है।

(2) पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी, जो उनके संवर्ग में थी, जिससे उन्हें पदोन्नत किया गया है;

परन्तु उपलब्ध यह है कि:—

(एक) जहाँ किसी स्त्रोत से नियुक्तियाँ विहित कोटे से कम की जाती हैं और ऐसे रिक्त पदों के विरूद्व नियुक्तियाँ अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जाती हैं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों की किसी पूर्ववर्ती वर्ष से ज्येष्ठता नहीं मिलेगी, बल्कि उन्हें उस वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की गयी। यद्यपि उस वर्ष की संयुक्त सूची में उनका नाम (इस नियम के अधीन तैयार की जाने वाली सूची में) चक्रीय क्रम में अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम से सबसे ऊपर रख जायेगा।

(दो) जहाँ नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्त्रोत से भरी जाने वाली रिक्तियाँ, संगत नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में, किसी अन्य स्त्रोत से भरी जा सकती हैं और इस प्रकार कोटे से अधिक नियुक्तियाँ की जाती हैं वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति को उसी वर्ष की ज्येष्ठता मिलेगी मानों उसकी नियुक्ति उसके कोटे की रिक्तियों के विरूद्व की गयी है।

परिवीक्षा 10.(1)सेवा में मौलिक रिक्तियों में या उनके प्रति नियुक्त होने पर प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखे जायेगें।

(2)नियुक्ति प्राधिकारी सेवा के संवर्ग में सम्मिलित पद या किसी अन्य समान या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गई निरन्तर सेवा को परिवीक्षा—अवधि की गणना करने के प्रयोजन हेतु अनुज्ञा दे सकता है।

(3)नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेगें,वैयक्तिक मामलों में परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है जिसमें वह उस निश्चित तिथि को विनिर्दिष्ट करेगा जब तक अवधि बढायी गई हो;

परन्तु उपबन्ध यह है कि अपवादिक परिस्थितियों के सिवाय,परिवीक्षा अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी परिस्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी।

(4) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को परिवीक्षा की अवधि या परिवीक्षा की अवधि के अन्त में या बढ़ायी गई परिवीक्षा की अवधि में,जैसी भी स्थिति हो,यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या वह अन्यथा समाधान करने में असफल रहा है,तो उसे उसके मौलिक पद पर,यदि कोई हो,प्रत्यावर्तित किया जा सकता है और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार(लिएन) नहीं है तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती है।

(5) कोई व्यक्ति,जिसकी सेवायें उप—नियम(4) के अन्तर्गत प्रत्यावर्तित की जाय या समाप्त कर दी जाय,किसी प्रतिकर को पाने का हकदार नहीं होगा।

स्थायीकरण 11. (1) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा की अवधि या बढ़ाई गई परिवीक्षा की अवधि के अन्त में अपने पद पर स्थायी कर दिया जायेगा,यदि–

(क)उसका कार्य व आचरण संतोषजनक बताया गया है,

(ख)उसकी सत्यनिष्ठा अभिप्रमाणित है, और

(ग)नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि वह स्थायीकरण हेतु अन्यथा योग्य है।

(2)जहां उत्तराखण्ड राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली,2002 के उपबन्ध के अनुसार स्थायीकरण आवश्यक न हो,वहां उस नियमावली के नियम 5 के उपनियम (3) के अधीन यह घोषणा करते हुए पारित आदेश,कि सम्बन्धित कार्मिकों ने परिवीक्षा अवधि सफलता पूर्वक पूर्ण कर ली है,स्थायीकरण का आदेश समझा जायेगा।

भाग छः–वेतन इत्यादि

वेतनमान 12. (1)सेवा में विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियुक्त व्यक्तियों को अनुमन्य वेतनमान वह होगा जो सरकार द्वारा समय–समय पर अवधारित किया जाय।

(2)इस नियमावली के प्रारम्भ के समय वेतनमान निम्नानुसार होगाः–

क्र0 सं0	पद का नाम	वेतन बैंड/ वेतनमान का नाम	वेतन बैंड/ वेतनमान	ग्रेड वेतन
1	2	3	4	5
1.	सहायक निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड	वेतन बैंड–2	रू0–9300–34800	रू0 4600

परिवीक्षा अवधि में वेतन 13.(1)परिवीक्षा अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति का वेतन,जो सरकार के अधीन पहले से ही पद धारण कर रहा है, सुसंगत मूल नियमों द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यह कि यदि समाधान प्रदान करने में असफल रहने के कारण परिवीक्षा अवधि बढ़ायी जाती है तो जब तक नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निर्देश न दें, ऐसी बढ़ायी गई अवधि की गणना वेतन वृद्धि के लिए नहीं की जायेगी।

भाग सात–अन्य उपबन्ध

पक्ष समर्थन 14. किसी पद या सेवा में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित संस्तुति से भिन्न किसी संस्तुति,चाहे लिखित हो या मौखिक,पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के अयोग्य कर देगा।

अन्य विषयों का विनियमन 15. ऐसे विषयों के सम्बन्ध में,जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों,सेवा में नियुक्त ऐसे व्यक्ति राज्य के कार्यों से सम्बन्धित सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों,विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे।

परिशिष्ट
{देखिये नियम 4(2)}

सेवा में और उसमें सम्मिलित विभिन्न श्रेणी के पदों की वर्तमान संख्या–

क्र. सं.	पदनाम	पदों की संख्या		कुल योग
		स्थायी	अस्थायी	
1.	सहायक निबंधक,वाणिज्य कर अधिकरण	–	1	1

आज्ञा से,

(राकेश शर्मा)
अपर मुख्य सचिव।

I/176485/2023

संख्या–176485/2023/33(100)/XXVII(8)/2001 टी.सी

प्रेषक,

सी0रविशंकर,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष,
वाणिज्य कर अधिकरण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वित्त अनुभाग–8 देहरादूनः दिनांक 26 दिसम्बर, 2023

विषयः वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड में सृजित सहायक निबन्धक (**Assistant Registrar**) के अस्थायी पद को स्थायी किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक–वाक अधि0/निरंतरता/68(12)/321/2022, दिनांक 01.08.2022 एवं पत्रांक–वाक अधि0/सहा0नि0/68(13)/168/2023, दिनांक 10.04.2023 द्वारा किये गये प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त् मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 525/xxvii(8)/वाणि0कर/2006, दिनांक 10.11.2006 के माध्यम से वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड के अंतर्गत् सृजित एक अस्थाई पद सहायक निबन्धक (Assistant Registrar), वेतनमान रू0 9300–34800, ग्रेड पे 4600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–7, रू0 44900–142400) को आप द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 118, दिनांक 31.08.2006 में उल्लिखित शर्तों को पूर्ण करने के दृष्टिगत् संलग्न प्रारुप पर अंकित विवरणानुसार स्थायी किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4–529
29–12–2023

2– इस संबंध में होने वाला व्यय पूर्व की भांति विभागीय आय–व्ययक के अनुदान संख्या–7 के लेखाशीर्षक 2040–बिक्री व्यापार आदि पर कर, 001–निदेशन एवं प्रशासन, 04–वाणिज्य कर प्राधिकरण का अधिष्ठान के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जाएगा।

3– अतः उपरोक्त स्वीकृति के क्रम में यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

Signed by C Ravi Shankar
Date: 19-12-2023 20:10:48

(सी0रविशंकर)
अपर सचिव।

संख्या–176485/2023–33(100)/XXVII(8)/2001 टी.सी. तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

I/176485/2023

2– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
3– कार्मिक अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
4– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
Signed by Krishna Kumar Shukla
Date: 20-12-2023 11:05:56
(कृष्ण कुमार शुक्ल)
उप सचिव।

I/177528/2023

संलग्नक

शासनादेश संख्या 525/xxvii(8)/वाणि0कर/2006, दिनांक 10.11.2006 द्वारा वित्त विभाग, उत्तराखण्ड (राज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड) के अन्तर्गत् वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तराखण्ड में दिनांक 10.11.2006 से स्थायी किये गये पदों का विवरणः–

क.	पदनाम	स्थायी किये जाने वाले पदों की संख्या	स्वीकृत वेतनमान	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें पद मूल रुप से सृजित हुआ था	शासनादेश संख्या तथा दिनांक जिसमें अन्तिम बार पद के स्थायीकरण अथवा उसके बाद की तिथि तक उसका सातत्य स्वीकृत किया गया था	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक निबन्धक (Assistant Registrar)	01	वेतनमान रू0 9300–34800, ग्रेड पे 4600 (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल–7 रू0 44900–142400)	शासनादेश संख्या 525/xxvii(8)/वाणि0कर/2006, दिनांक 10.11.2006	शासनादेश संख्या 153694/2023/33 (100)xxvii(8)/2001 टी0सी0, दिनांक 14.09.2023	–

Signed by C Ravi Shankar
Date: 23-12-2023 14:14:08
(सी0 रविशंकर)
अपर सचिव
वित्त विभाग।